कार्यालय जनपद न्यायाधीश, कानपुर देहात।
सार्वजनिक नीलामी सूचना

सर्वसाधरण को सूचित किया जाता है कि जनपद न्यायालय कानपुर देहात में राजकीय वाहन UP-32-BG-5361 जो निष्प्रयोज्य घोषित हो चुकी है कि सार्वजनिक नीलामी जनपद न्यायालय कानपुर देहात के मिटिंग हाल में दिनांक 20.12.2023 को सायं 04.30 बजे नीलामी के लिए गठित समिति के समक्ष निम्न शर्तो पर की जाएगी।

नीलामी की शर्तें

01 राजकीय वाहन UP-32-BG-5361 कार्यालय पर खडी है जिसे निलामी के पूर्व देखा जा सकता है वह जहां है उसी हालत में उसका विक्रय नीलामी समिति द्वारा नियमित तिथि/स्थान पर किया जायेगा। बोली बोलने वाले की अपनी जिम्मेदारी होगी की वह बोली बोलने से पहले वाहन का भली–भांती निरीक्षण कर लें।

02 नीलामी के लिए गठित समिति को अधिकार होगा कि वह किसी भी बोली को बिना किसी कारण बताए अस्वीकार कर दें। अन्तिम उच्चतम् बोली समक्ष प्राधिकारी द्वारा अन्तिम रुप से स्वीकार की जाएगी।

03 नीलामी में भाग लेने वाले प्रत्येक बोली दाता को बोली बोलने से पूर्व अग्रिम के रूप में 5000/– रुपये (पांच हजार रुपये) अनुभाग नजारत में जमा करके टोकन प्राप्त करना होगा।

04 नीलामी के अन्त में सर्वोच्च बोली दाता को बोली की आधी धनराशी तुरन्त जमा करनी होगी तथा शेष धनराशी नीलामी के स्वीकार होने के उपरान्त जमा करनी होगी। यदि उच्चतम बोली बोलने वाला व्यक्ति यह धनराशी जमा नहीं करता है तो उसके द्वारा जमा की गई धनराशी राज्य सरकार के पक्ष में जब्त कर ली जाएगी तथा पुनः नीलामी कार्यवाही की जाएगी।

05 बोली की अन्तिम रुप से स्वीकृत होने के पश्चात् उसकी सूचना प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर उच्चतम बोली दाता को बोली की सम्पूर्ण धनराशी जमा करके वाहन को ले जाना होगा। यदि सम्बन्धित द्वारा समयान्तर्गत परिसर से वाहन नहीं हटाया जाता है तो कार्यालय में जमा धनराशी जब्त कर ली जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित का होगा।

06 जब तक समिति द्वारा स्वीकार की गई अन्तिम बोली को समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यों द्वारा अन्तिम रुप से अनुमोदित नहीं किया जाता है तब तक नीलाम किये गये वाहन की चौकसी करने के लिए वांछित प्रबन्ध करने की जिम्मदारी उच्चतम बोली बोलने वाले व्यक्ति कीहोगी लेकिन निलाम किया गया वाहन जनपद न्यायालय कानपुर देहात के परिसर में ही रखा जाएगा वाहन सुरक्षा का दायित्व उच्चतम बोली बोलने वाले का ही होगा।

07 शासनादेसानुसार विक्रय मूल्य पर स्टाम्प शुल्क, विक्रय कर, आयकर पर पूरा विक्रय मूल्य जमा करना होगा।

08 नीलामी की बोली में वह व्यक्ति भाग ले सकता है जिनपर विभाग का कोई अवशेष न हो।

09 नीलामी स्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी को होगा।

10 नीलामी स्वीकृत करने के पूर्व किसी स्तर पर बिना पूर्व सूचना दिए इसे निरस्त करने का अधिकार सक्षम अधिकारी में निहित होगा।

11 जनपद न्यायालय कानपुर देहात के कर्मचारीगण उक्त नीलामी में प्रतिभाग नहीं कर सकेंगे।

14/12/23

प्रभारी अधिकारी नजारत
जनपद न्यायालय कानपुर देहात।